

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज., जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/एफ.04860/2024/370

दिनांक : 04-06-24

आदेश

श्री राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ सहायक, अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर द्वारा राजस्थान राजपत्र मे दिनांक 14.10.2021 को प्रकाशित कराये जाने एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने के तहत राजस्थान सेवा नियम के नियम 8 एवं वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ-1/12/एफडीईआर/187 दिनांक 10.04.1957 कार्मिक के नाम के साथ सरनेम जोडे जाने के फलस्वरूप कार्मिक का नाम समस्त राजकीय रिकोर्ड में राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ सहायक के स्थान पर नया नाम राजेन्द्र प्रसाद ओझा एतद द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/एफ.04860/2024/370

दिनांक : 04-06-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ अजमेर।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड करें।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद ओझा, वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7587087



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.06.03 20:19:16 IST
Reason: Approved